न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 51/2025 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर—2025/78

उनवान

1. श्री नाथु पिता धुलिया मीणा उम्र बालिग
2. श्री नारीया पिता भगवाना मीणा उम्र बालिग
3. सुश्री प्रियंका पिता धुलिया मीणा उम्र बालिग सरंक्षक माता श्रीमती लसुडी पत्नी धुलीया मीणा
4. श्रीमती लसुडी पत्नी धुलिया मीणा उम्र बालिग
5. श्रीमती हुरज पिता धुलीया मीणा उम्र बालिग
6. श्री हिरालाल पिता धुलिया मीणा उम्र बालिग

सभी निवासीयान गोलातफला, हडमतिया कलां तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील, झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः—**08—10—2025**

उपस्थितिः श्री गौतमलाल मीणा अधिवक्ता—प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा उपस्थित।

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा हडमलियाकलां पटवार हल्का पायरा तहसील झल्लारा खाता संख्या 98 आराजी नम्बर 1417/0.23, 1418/0.17 कुल किता 2 रकबा 0.40 हैक्टेयर कृषि भूमि मे प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी एवं पडोसी आराजीयात के बीच सीमाकंन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपने खेत में पक्की कोट या बाड भी नही कर सक रहे है। पडौसियों की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के पास में आ जाने की वजह से वह जानबुझकर प्रार्थीगण को परेशान कर रहे है जिससे प्रार्थीगण की बोई हुई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थीगण को भारी नुकसान उठाना पडता है तथा मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थीगण की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के मध्य विधिवत सीमाकंन कर पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है ताकि दोनो के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो।

प्रार्थना पत्र का कारण अन्तिम बार दिनांक 05—06—2025 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमती से सीमाकंन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण के खेतो की बाड कोट तोडने लगे। अतः

...ायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये– श्री जगदीश चन्द बामनिया आर.ए.एस.

प्रार्थना संख्या–51 / 2025

उनवान–श्री नाथु बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट.

निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1417 / 0.23, 1418 / 0.17 कुल किता 2 रकबा 0.40 हैक्टेयर का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस / सम्मन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जाहिर आया। जिन्होने जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया।

तदपश्चात पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी एवं पडोसी आराजीयात के बीच सीमाकंन व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1417 / 0.23, 1418 / 0.17 कुल किता 2 रकबा 0.40 हैक्टेयर का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त आराजीयात की भूमि है राजस्व जमाबंदी मे दर्ज सभी खातेदारो को इस प्रार्थनापत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त आराजीयात की भूमि होकर अविभाजीत होना प्रकट आया है। तथा प्रार्थीगण मे राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 दर्ज सभी खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया है। ना ही प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि का सीमा जानकारी का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उलब्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **08–10–2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर